यूनियन ऑफ इंडिया एवं एक अन्य

बनाम

रवि शंकर और एक अन्य

24 फरवरी, 1998

[जी. बी. पटनायक और एम. श्रीनिवासन, न्यायाधिपतिगण]

केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना दिल्ली (समूह सी) आयुर्वेदिक भर्ती नियम, 1978:

फार्मेसी - की नियुक्ति - प्रतिवादीगण हिंदी साहित्य सम्मेलन से वैद्य विशारद की योग्यता रख रहे - न्यायाधिकरण द्वारा योग्यता में छूट देकर भविष्य की रिक्तियों के खिलाफ उत्तरदाताओं के मामले पर विचार करने का निर्देश - न्यायाधिकरण के आदेश के खिलाफ अपील - अभिनिर्धारित किया - नियम से जुड़ी आयोजित अनुसूची में प्रावधान है कि 'वैद्य विशारद' अखिल भारतीय आयुर्वेदिक कांग्रेस द्वारा प्रदान की गई 'आयुर्वेद रत्न' को मान्यता दी गई, जबकि हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा प्रदान की गई 'आयुर्वेद रत्न' को मान्यता दी गई - हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा प्रदान की गई वैद्य विशारद की डिग्री, जो उत्तरदाताओं के पास थी, को भर्ती नियमों के तहत मान्यता प्राप्त योग्यता नहीं माना जा सकता है -

इसलिए न्यायाधिकरण ने विवादित निर्देश देने में गलती की - न्यायाधिकरण का फैसला रद्द कर दिया गया।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 2681/1993

केंद्रीय प्रशासनिक, न्यायाधिकरण, दिल्ली के ओए नंबर 1261/1989 में निर्णय एवं आदेश दिनांक 13.11.92 से।

सी.वी.एस. राव के लिए श्रीमती के. अमरेश्वरी, सुश्री शशि किरण और श्रीमती अनिल कटियासर; अपीलकर्ताओं के लिए।

एस.एम. गर्ग प्रतिवादीगण के लिए।

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश दिया गया था:

यह अपील केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली दिनांक 13.11.1992 के फैसले के खिलाफ निर्देशित है।विवादित निर्णय द्वारा, न्यायाधिकरण ने अपीलकर्ताओं से उत्तरदाताओं के मामले पर विचार करने का आहवान किया है, जिन्होंने भविष्य में कोई रिक्ति आने पर पद के लिए योग्यता और अनुभव में छूट देने के बाद फार्मासिस्ट पद के लिए हिंदी साहित्य सम्मेलन, इलाहाबाद से वैद्य विशारद की योग्यता स्वीकार की है।

अपीलकर्ताओं के लिए वरिष्ठ वकील श्रीमती अमरेश्वरी का तर्क है कि हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा मान्यता प्राप्त वैद्य विशारद फार्मासिस्ट

के पद के लिए मान्यता प्राप्त योग्यताओं में से एक नहीं है और किसी पद के लिए न्यूनतम योग्यता में छूट नहीं दी जा सकती है और इसलिए, न्यायाधिकरण से प्रश्नगत योग्यता में छूट पर उत्तरदाताओं के मामले पर विचार करने का निर्देश देने में त्रुटि हुई। दूसरी ओर, प्रतिवादीगण के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि हिंदी साहित्य सम्मेलन, इलाहाबाद द्वारा प्रदान की गई वैद्य विशारद की डिग्री केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना दिल्ली (समूह सी) आयुर्वेदिक, भर्ती नियम, 1978 के तहत मान्यता प्राप्त योग्यता है। पक्षकारो द्वारा अपनाए गए प्रतिद्वंद्वी रुख के कारण, एकमात्र प्रश्न जो विचार के लिए उठता है वह यह है कि क्या हिंदी साहित्य सम्मेलन, इलाहाबाद द्वारा प्रदान की गई वैद्य विशारद की डिग्री को भर्ती नियमों के तहत एक मान्यता प्राप्त योग्यता माना जा सकता है। योग्यता निर्धारित करने वाले नियमों से जुड़ी अनुसूची को देखने से यह स्पष्ट है कि अखिल भारतीय आयुर्वेदिक कांग्रेस द्वारा प्रदान किया जाने वाला 'वैद्य विशारद' ही मान्यता प्राप्त है और केवल हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा प्रदान किया जाने वाला आयुर्वेद रत्न ही मान्यता प्राप्त है। इसलिए, हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा प्रदान की गई वैद्य विशारद की डिग्री, जो उत्तरदाताओं के पास है, को भर्ती नियमों के तहत मान्यता प्राप्त योग्यता नहीं माना जा सकता है। यह कहा जा सकता है कि न्यायाधिकरण के समक्ष आवेदन में, प्रतिवादीगणो ने स्पष्ट रूप से दावा किया है कि उनके पास हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा मान्यता प्राप्त वैद्य

विशारद की योग्यता है। मामले को ध्यान में रखते हुए, फार्मासिस्ट के पद के खिलाफ भविष्य में रिक्तियों के मामले में प्रतिवादियों के मामले पर विचार करने का निर्देश देने में न्यायाधिकरण पूरी तरह से त्रुटिपूर्ण था। प्रतिवादीगण के पास भर्ती नियमों के तहत अपेक्षित योग्यता नहीं है। उन्हें नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं हो सकता। न्यायाधिकरण के आक्षेपित फैसले को रद्द कर दिया गया है। अपील को स्वीकार किया जाता है, लेकिन लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।

टी.एन.ए.

अपील स्वीकार की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल सुवास की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता नृपेन्द्र सिनसिनवार द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिये स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।